अमर उजाला दिनांक 13/4/22 पेज नं. 2

मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी देहरादून से तलब की रिपोर्ट

देहरादून। मानवाधिकार आयोग ने नेहरू कालोनी निवासी छात्र का फोन खोने के मामले में समय रहते कार्रवाई न करने पर एसएसपी देहरादून से रिपोर्ट तलब की है। आयोग को मिली शिकायत में बताया गया कि थाना क्षेत्र निवासी एक छात्र का फोन खो गया था। मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस को फोन ऑन होने पर उसकी लोकेशन भी बताई गई। इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की। न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा ने कहा कि एसएसपी देहरादून मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ब्यूरो

4 दैनिक जागरण देहरादून, 19 फरवरी, 2022

डीएम से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

देहरादून: डोईवाला के राजीव नगर से ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाने के लिए दी गई शिकायत पर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। आयोग में उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने वाद दायर किया था।

शिव प्रसाद सेमवाल ने ट्रेंचिंग ग्राउंड को मानकों के विपरीत ठहराया है। भेजे पत्र में कहा है कि एयरपोर्ट से एक किलोमीटर से भी कम हवाई दूरी होने के चलते ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थापित नहीं किया जा सकता। वहीं, सौंग का पानी प्रदूषित हो रहा है। ।(जासं)

हिन्दुस्तान देहरादून • शनिवार • 19 फरवरी 2022 • 06

मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट

देहरादून/डोईवाला | हिटी

डोईवाला के राजीवनगर डैश वाला से ट्रंचिंग ग्राउंड हटाने को लेकर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सदस्य आरएस मीना ने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने पिछले दिनों डोईवाला के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजीव नगर से ट्रंचिंग ग्राउंड हटाने की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया था। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने दोनों अधिकारियों को 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है और 4 अप्रैल को आयोग के समक्ष पत्रावली पेश करने के लिए कहा है।

शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि यहां पर ट्रंचिंग ग्राउंड मानकों के विपरीत बनाया गया है। एयरपोर्ट से एक किलोमीटर से भी कम हवाई दूरी होने के चलते यहां पर ट्रंचिंग ग्राउंड स्थापित नहीं किया जा सकता।

मामला

- राजीव नगर डैश वाला से ट्रंचिंग ग्राउंड हटाने का मामला
- यूकेडी ने मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया था

टीबी के पक्के इलाज के दावों के बीच 1390 मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून: टीबी असाध्य रोग नहीं है। टीबी के इलाज का पक्का वादा। सरकार टीबी (तपेदिक) की बीमारी को लेकर इस तरह के दावे करती रहती है और टीबी के मामलों में भी कमी आ रही है। वहीं, डाट्स (डायरेक्टली आब्जर्व्ड ट्रीटमेंट) प्रणाली के बाद टीबी के मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथ में ले ली है। हालांकि, इन सब कवायद के बीच चार साल (वर्ष 2015 से 2018) में टीबी से प्रदेश में 1390 व्यक्ति जान गंवा चुके हैं। एक शिकायत के रूप में मानवाधिकार आयोग पहुंचे इस मामले में आयोग की डबल बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।

अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग से आरटीआइ में टीबी से होने वाली मौत की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में 1390 मौत की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सर्वाधिक मौत के मामले हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में सामने आए हैं। वहीं, अधिवक्ता ने इस संबंध में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने टीबी के शिकार हुए व्यक्तियों के स्वजनों को मुआवजा दिलाने के साथ ही टीबी के पक्के इलाज की व्यवस्था को पुख्ता कराने की मांग भी की।

मामले की सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग के सदस्य अखिलेश चंद्र शर्मा व आरएस मीणा की पीठ ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। शिकायत पर अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को की जाएगी।

टीबी से मौत की स्थिति

जिला	मौत
हरिद्वार	260
देहरादून	210
ऊधमसिंह नगर	194
नैनीताल	161
पौड़ी	110
चमोली	109
टिहरी	76
अल्मोड़ा	64
बागेश्वर	53
पिथौरागढ़	48
चंपावत	41
रुद्रप्रयाग	34
उत्तरकाशी	30

युवती से दुष्कर्म मामले में आयोग ने मांगा जवाब

देहरादून: क्लेमेनटाउन स्थित नशा मुक्ति केंद्र वाक एंड विन सोबेर लिविंग होम में युवती से दुष्कर्म के मामले में उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने जिलाधिकारी, एसएसपी और समाज कल्याण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न बिंदुओं पर 14 सितंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

आयोग ने 'दैनिक जागरण' में सोमवार को 'जांच टीम को युवतियों से नहीं करने दी थी बात' शीर्षक से प्रकाशित खबर का संज्ञान लिया। इस मामले में आयोग ने जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार, एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत और समाज कल्याण विभाग सचिव एल फैनेई को पत्र भेजा। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा व आरएस मीना ने एसएसपी से उनके स्तर पर की गई कार्रवाई, समाज कल्याण विभाग सचिव से नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए प्रविधान और वर्तमान में संचालित सरकारी व निजी नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या, केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया, निरीक्षण के लिए किस विभाग की जिम्मेदारी है आदि बिंदुओं पर जवाब मांगा है। (जास)

my City अमर उजाला Pg No.- 1

मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब

डीएम और एसएसपी से चार सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट

देहरादून। नशा मुक्ति केंद्र से युवतियों के भागने एवं दुष्कर्म की अमर उजाला में प्रकाशित खबर का उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में देहरादून के डीएम और एसएसपी से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह भी पूछा है कि इस प्रकरण में क्या कार्रवाई हुई।

देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र से भागी युवतियों ने केंद्र संचालक पर छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आठ अगस्त को अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसका आयोग ने संज्ञान लेते हुए देहरादून पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं सचिव समाज कल्याण को दिए आदेश में कहा है कि यह बताया जाए कि नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने के लिए किस तरह की व्यवस्था है। प्रदेश में कितने सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं।

केंद्र को स्थापित करने के लिए अनुमति कहां से मिलती है। इन केंद्रों की निगरानी किस विभाग की ओर से की जाती है। विभागों की ओर से कब-कब इन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। ब्यूरो